यालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)

मि.न.142/2019

दिनांक–9.12.19

सरकार बनाम रामोतार

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नारहेडा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1551/0.94है0 किस्म गै0मु0 भूमि मेंसे 0.01है0 पर रामोतार पुत्र गोकुल जाति राजपूत निवासी नाहरेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने मकान बनाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्राप्त गैर सायल उपस्थित आये तथा जबाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया। गैर सायलान ने अपने जबाब मे कथन किया है कि ग्राम नांरहेडा के खसरा नंबर 1551/0.94 किस्म गै0मु0 पर बुर्जगान के समय से करीब 50 वर्ष पूर्व से मकान बनाकर निवास कर रहे हैं तथा मकान मे बिजली कनेक्शन भी ले रखा है मेरे पास इसके अलावा कोई निवास के लिए जगह नहीं है। अतः कार्यवाही ड्राप की जावे।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भू– अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त पेश की गई है।

अतः गैरसायल रामोतार पुत्र गोकुल जाति राजपूत निवासी नारहेडा तहसील कोटपूतली द्वारा वाके ग्राम नारहेडा के खसरा नंबर 1551/0.94है0 किस्म जमीन गैर–मुमकीन भूमि मेंसे 0. 01 है0 भूमि पर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण सिद्व होता है अतः अतिकमि के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिकमी के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिकमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी ।चूकि गैरसायल ने अपने जबाब मे कथन किया है कि उसके पास उक्त मकान के अलावा रहने के लिए अन्य कोई मकान नहीं है। राज्य सरकार की लोक नीति के अनुसार इनके उचित आवास

की व्यवस्था के लिए विभिन्न योजनाऐं संचालित हैं।अतः गैर सायल को उक्त आराजीयात से बेदखल करने हेतु ग्राम पंचायत से गैरसायल के रहवास की व्यवस्था करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः रामोतार पुत्र गोकुल जाति राजपूत निवासी नारहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1551/0.94है0,[illegible] भूमि मे से 0.01है0 भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है व नाजायज [illegible] करने के आरोप मे लगान राशी 0.60 रू. का पचास गुणा 30 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है अतः ग्राम पंचायत नारहेडा को आदेशित किया जाता है कि वह अतिक्रमी रामोतार पुत्र गोकुल जाति राजपूत निवासी नारहेडा की रहवास की व्यवस्था नियमानुसार करे तथा सहायक अभियन्ता वि0वि0नि0 कोटपूतली को जारी शुदा विद्युत कनेक्शन विच्छेतद के लिए लिखा जावे।तत्पष्चात हल्का गिरदावर बेदखली की कार्यवाही कर रिपोर्ट करे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से क्रम हो ।

निर्णय आज दिनाक 9.12.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।